उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एस/एस) संख्या 232 सन् 2013

समक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा

एच0 एन0 श्रीवास्तव.....याचिकाकर्ता
बनाम
महाप्रबंधक (प्रशासन) उत्तराखंड और अन्य..... उत्तरदातागण

अधिवक्तागण – श्री कुर्बान अली एवं सुश्री लुभना जहां, (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता)
श्री शोभित जोशी, श्री आशीष जोशी,वीफ होल्डर (उत्तरदाताओंके अधिवक्ता)

माननीय शरद कुमार शर्मा,जे,

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्हें 04.10.1982 को प्रतिवादियों के साथ क्लर्क के रूप में सेवाओं में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता की सेवा साख बेदाग होने के कारण बाद में सक्षम प्राधिकारी यानी उत्तराखंड परिवहन निगम, टनकपुर डिपो जिला चंपावत के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया था। वरिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची में, जो तब प्रतिवादी–विभाग द्वारा जारी की गई थी, याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 10 पर था । इस आधार पर कि याचिकाकर्ता पर जिस कार्यालय से जुडा हुआ था उसके वरिश्ठ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने के अवज्ञा के कदाचार के आरोप थे और वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था । 19.08.2011 के निलंबन का आदेश पृथक रूप से उक्त आधार पर आधारित था

3. उत्तरदाताओं के वकील ने कहा कि निलंबन के क्रम में लगाए गए आरोपों की प्रकृति उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों के अलावा) सेवा विनियम 1981 के खंड 62 के उप खंड (6) के तहत आएगी, क्योंकि यह उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम के अर्न्तगत उ0प्र0 परिवहन निगम के प्रावधानों के तहत उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद इसके गोद लेने के कारण यह उत्तराखण्ड में लागू होगा ।

4. 19.08.2011 के निलंबन के आदेश के परिणामस्वरूप कार्यवाही, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (एस/एस) संख्या 232 सन् 2013 के रूप में एक रिट याचिका दायर करके की गई थी। लेकिन हालांकि निलंबन, आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अदालतों द्वारा समर्थन नहीं मिल सका, क्योंकि रिट याचिका का निस्तारण उत्तरदाताओं को एक महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश के साथ किया गया था, इसका कारण यह था कि याचिकाकर्ता 31.12.2011 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाला था।

5. इस न्यायालय के दिनांक 03.11.2011 के निर्णय के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को चार्जशीट किया जाना कहा गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ छह आरोप लगाए गए थे, जिनका

जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 19.10.2011 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को नकारते हुए उक्त प्रभाव का उत्तर प्रस्तुत करके दिया गया था,। इस प्रकार नियुक्त जांच अधिकारी, जो कि सहायक महाप्रबंधक (वित्त) उत्तराखण्ड परिवहन निगम है, ने इसकी अपेक्षित जानकारी होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को पाँच आरोपों से मुक्त कर दिया, और उसे ड्यूटी स्लिप संख्या 34 दिनांक 05.08.2011 तैयार करने के लिए सीमित सीमा तक ही दोषी पाया, और इसके परिणामस्वरूप, उन्हें सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश के साथ दंडित किया गया और 1981 के विनियम 63 के तहत विचारित दंड के अनुसार निंदा की गई।

6. प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश के विरुद्ध, जो मामूली दंडों में से एक था, जो सेवा नियमों के अनुसार गलती करने वाले अधिकारी पर लगाया जा सकता था, याचिकाकर्ता ने 07.12. 2011 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 20.04.2012 के एक आदेश द्वारा आंशिक रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णित किया गया और उसके परिणामस्वरूप दंड के सिद्धांत आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया था कि दंड, जैसा कि अब यह 08.12.2011 के आदेश द्वारा लगाया गया था, जो इस आशय का था कि एक कारण बताओ जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता को देय निर्वाह भत्ता क्यों नहीं रोका जा सकता है जब वह निलंबन की अवधि के दौरान था और उसकी सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि के परिणामस्वरूप भी उसे उसकी सेवाओं में बहाल कर दिया गया था । अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक निष्कर्ष यहां निकाला गया है –

> "मेरे द्वारा प्रकरण पत्रावली का अवलोकन करते हुये पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं आरोपी द्वारा किये गये आरोप पत्र के उत्तर एवं आरोपी द्वारा किये गये प्रति परीक्षण तथा आरोपी दिये गये प्रत्यावेदन का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आरोपी के द्वारा एक नये एजेन्सी चालक से वाहन संचालित करवाया गया एवं वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुयी जिसके लिये वह दोषी पाये गये हैं। आरोपी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में भी कोई नये तथ्य नहीं दिये गये हैं। अतः आरोपी को कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित दण्ड निलम्बन काल का अवशेष वेतन राज्य सात करते हुये को यथावत रखते हुये उन्हें अन्तिम रूप से सेवा में बहाल किया जाता है तथा आरोपी के चरित्र पंजिका में निम्न प्रतिकूल प्रविष्टी अंकित की जाती है। "

7. दिनांक 08.12.2011 के इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता की अपील को महाप्रबंधक, प्रशासन, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का समर्थन प्राप्त हुआ था, जिन्होंने दण्ड आदेश संख्या 1962 दिनांक 08.12.2021 को निलंबन की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता रोके जाने का अर्थात वह अवधि जब याचिकाकर्ता 19.08.2011 से निलंबन के तहत रखे जाने के बाद निलंबित रहा, जब तक कि वह 31.12.2011 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या दिनांक 08.12.2011 को पारित अधिक से अधिक सजा के आदेश को संशोधित करते हुए केवल दण्ड के आदेश को सीमित कर दिया है।

8. वाद विषय यह होगा कि क्या चुनौती के तहत आक्षेपित आदेश, निलंबन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता रोके जाने की सजा के लिए एक निर्देश जारी करने की वर्तमान रिट याचिका में, जैसा कि आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है, लागू किया जा सकता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 20.04.2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा दिनांक 08.12.2011 के सजा आदेश में संशोधन, सजा आदेश को सीमित करने की सीमा तक सीमित है, जो रोक की सजा को लागू करने तक सीमित है। 19.08.2011 से 08.12.2011 तक निलंबन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता का इस कारण से अनुचित होगा, जैसा कि पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब 1981 के विनियम, जैसा कि यू.पी. राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज विभाग निगम के साथ प्रतिनियुक्ति, शासनादेश संख्या 3414 दिनांक 05.07.1972 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। उसमें बनाए गए विनियम, जो 19.06.1981 को राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे.जोकि समूह सी और डी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधीनस्थ कानून का आकार लेगें, जो राज्य के

सांविधिक निगम के साथ काम कर रहे थे। उनका तर्क यह है कि जब अधीनस्थ विधायिका ने वैधानिक निगम के एक कर्मचारी की सेवा शर्तों को नियंत्रित किया, जानबूझकर विनियम 63 में, एक दंड के रूप में निर्वाह भत्ते की रोक प्रदान नहीं की थी। जो किसी कर्मचारी पर लगाया जा सकता है, जिसने कानून में गलती की है या खुद को किसी भी कदाचार में शामिल किया है, जैसा कि विनियम 62 के तहत प्रदान किया गया है, निर्वाह भत्ता को रोका नहीं जा सकता है।

10. तर्कों का उत्तर देने के कम में जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इसे विस्तारित किया गया है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आपत्तिजनक अपीलीय आदेश द्वारा की गई कार्रवाई विनियम 63 के उपखंड (4) के तहत होगी और मामूली दंड का हिस्सा होगा, जो 1981 के विनियम के तहत लगाया जा सकता है, जो विनियम 1981 के विनियम 63 के उप–विनियम 4 के प्रभाव के बारे में है, जो है नीचे वर्णित है –

" (4) लापरवाही या आदेश के उल्लंघन के कारण निगम को होने वाली आर्थिक हानि के पूरे या हिस्से के भुगतान या जमा से वसूली,

11. वह प्रस्तुत करता है कि " वेतन से वसूली या अपने क्रेडिट में जमा करने " की शब्दावली का उपयोग, एक कर्मचारी के निलंबन की अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता को रोकने के पहलू में शामिल होगा।

12. मेरे आदेश पर पूरे सम्मान के साथ, मैं उत्तरदाताओं के वकील द्वारा दिये गये तर्कों की दृढ़ता के साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि राशि की वसूली अपने आप में एक पूर्व शर्त आमंत्रित करेगी कि किसी राशि का एक पूर्व प्रेषण होना चाहिए यदि किसी राशि या मौद्रिक लाभ का कोई प्रेषण नहीं है, तो उसके बाद की वसूली यदि इसका सहारा लिया जाता है, तो विनियम के विनियम 63 के उप खंड (4) के तहत नहीं आएगा। इस न्यायालय का विचार है कि निलंबन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता, एक बार इसे विनियमों के विनियम 63 के तहत प्रदान किए गए दंड के विवरण में शामिल नहीं किया जाता है, उस स्थिति में, रोक लगाने की भावना और उद्देश्य निर्वाह भत्ता, निलंबन अवधि के दौरान दंड के किसी भी वर्ग के मापदंडों के भीतर नहीं आएगा, जैसा कि 1981 के विनियमों के विनियम 63 के तहत वर्णित है। एक बार यदि यह विनियमों के विनियम 63 के तहत निहित नहीं है, तो एक दंड, जो लगाया जा सकता है, इसके निहितार्थ को उत्तरदाताओं द्वारा विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (4) को दी गई अपनी व्याख्या द्वारा विस्तृत नहीं किया जा सकता है, जो निर्वाह भत्ते को रोकने के अधिनियम को एक अधिनियम के रूप में लाता है। वेतन या जमा की वसूली की, जो एक कर्मचारी के क्रेडिट में किया गया है।

13. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि एक बार कर्मचारी को राशि वितरित नहीं की गई और इसके परिणामस्वरूप, संवितरण के बाद जो विनियमों के विनियम 63 के उप–विनियम (4) के तहत वसूल किया जा सकता था, यह स्वयं में भुगतान रोकने को शामिल नहीं करेगा। जो एकमात्र विशेषाधिकार है, जिसे 1981 के विनियमों के विनियम 63 के तहत प्रदान किए गए दंड के विपरीत नियोक्ता द्वारा प्रयोग किया गया है।

14. ऐसी स्थिति में, अपीलीय प्राधिकारी उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.04.2012 को पारित आक्षेपित आदेश, सजा के मूल आदेश दिनांक 08.12.2011 को संशोधित करते हुए, इसे निर्वाह भत्ते की रोक तक सीमित करना कानून की दृष्टि से बुरा होगा, क्योंकि जब तक और जब तक किसी नियोक्ता के निर्वाह भत्ते को रोककर जुर्माना लगाने का अधिकार, 1981 के विनियम के विनियम 63 के दायरे में नहीं लाया जाता है, जो कदाचार के लिए दंड की प्रकृति से संबंधित है, यह दिनांक 08.02.

2011 के दण्ड के मुख्य आदेश की संवीक्षा करते हुए दंड के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नहीं लगाया जा सकता था ।

15. इसलिए विवादित आदेश दोषपूर्ण है क्योंकि विधायी क्षमता के बिना, आदेश 1981 के विनियमों के तहत निहित दंड के दायरे से बाहर है। इसलिए, 20.04.2012 का आक्षेपित आदेश जो निलंबन अवधि के दौरान 19.08.2011 से 08.12.2011 तक की अवधि में देय निर्वाह भत्ते की रोक की सीमा तक सीमित है, अनुचित है। आक्षेपित आदेश उस सीमा तक निरस्त किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि के लिए रोके गए गुजारा भत्ता को याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति से दो महीने की अवधि के भीतर भेज दें। लेकिन जहां तक कल्पित पदोन्नति देने से संबंधित पहलू का संबंध है, चूंकि याचिकाकर्ता निलंबन के अधीन रहा और जब उसने निलंबन के आदेश के खिलाफ पहले की रिट याचिका दायर की थी, तो अदालत द्वारा गुण–दोष के आधार पर कभी भी इसका समाधान नहीं किया गया और इसका निस्तारण केवल जांच समाप्त करने के निर्देश के साथ कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि 1981 के विनियम के विनियम 62 के उप खंड (6) के तहत उसके कृत्य के संबंध में लगाए गए आरोपों का अनुतोश संख्या 2 को याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए, रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाएगा, जहां तक यह 20.04.2012 के आदेश पर उठाये गये प्रश्न से संबंधित है, जो कि ऊपर देखे गए क्षेत्र और सीमा तक सीमित है।

(शरद कुमार शर्मा,जे,)
01-08-2022

आरती

(Translation has been done through AI Tool : Google Lens)
द्वारा– शैलेन्द्र कुमार यादव
सिविल जज, कीर्ति नगर
टिहरी गढवाल